प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीनपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक, एस०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, सरकी मुफ्तीगंज, जौनपुर।

पत्रांक/मान्यता/ 8/15 /2017-18 दिनांक 30~12.2017 विषयः निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र-

मझोदय

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ०प्र० शासन, लखनक शिक्षा अनुमाग—6 आदेश संख्या —419/79—6—2013—18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 30.11.2107 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश एस०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, सरकी मुफ्तीगंज, जौनपुर को 30.12.2017 से 29.12.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजुरी निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अध्यधीन है —

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2— विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता होगा।

5— सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुक्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नक्षित्रित सुनिश्चित करेगा ।

- प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पन्न प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:श्वक्शता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अईताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अईताये नहीं है, पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अईताये अर्जित करेगें।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है।

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन—क्रिया कलापो में नियोजित नही करेंगें ।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है -

> विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल । कुल निर्मित क्षेत्रफल । क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल । कक्षाओं की संख्या । प्राध्यापक—सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष । बालको और बालिकाओं के पृथक शौचालय । पेय जल सुबिधा । मीड—डे—मील पकाने के लिए रसोई ।

> > पुस्तकालय की उपलब्धंता ।

Digitally signed by SURAJ PRASAD YADAV Date: 2022.03.18 10:59:54 +05:30

Reason: reason Location: location

- 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नहीं चलाई जायेंगी।
- 10— विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनाओं के लिए किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13— विद्यालय के लेखाओं, की किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए । और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना. चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14—आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्याक 🗶 है । कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय -समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17- संलग्न उपयन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18— मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अमिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

19- विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा ।

(राजेन्द्र सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीनपुर ।

पृ०सं० / मान्यता /

8115

/2017-18 दिनांक-उक्तवत ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।

3— खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड / नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षणं कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय मवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय मवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4- कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदर जीनप्र।

सेवा में

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य एस० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, सरकी केराकत जीनप्र।

पत्रांक /

/2022-23

दिनांक : 16/04/22

विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। विषय:-महोदय.

शासनादेश संख्या-646-15-06-97-18 एस0(7) / 89 दिनांक-13-08-1997 में दिय गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार कक्षा-1 से 8 तक स्थायी मान्यता इस आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। विद्यालय में पदमुजन पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ही मान्य होगा। इस आदेश के साथ कोई अतिरिक्त पदसृजन प्रदान नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार पदसृजन की स्थिति पूर्ववत् रहेगी। यह मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि आप द्वारा विद्यालय की मान्यता हेतु दर्शाये गये भूमि, भवन एवं अन्य उल्लिखित संशाधनों का उपयोग इस विद्यालय के लिए ही किया जायेगा। स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिसम वेजेज एक्ट के तहत चेक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा। उल्लंघन की दशा में अथवा भविष्य में प्रबन्धक द्वारा छिपाये गये तथ्य के प्रकाश में आने या फर्जी / कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का

अधिकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को हाँगा।

भान्यता सल्या - (11/08/2022) Z-5124 - 09640905005

भवदीय (डा० गोरखनाथ पेटिल) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी असदर जीनपुर।

पु०सं०/

5683/22

/ 2022-23 तद्दिनांक।

निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-प्रतिलिपि-1-

अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज। 2-

सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। 3-

वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जौनपुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर। 5-

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, जौनपुर।

प्रबन्धक, एस० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, सरकी केराकत जीनपुर। 6-

कार्यालय् गार्ड फाईल्।

रवल महमा अधिकारी क्याक्य ।

(डा० गोरखनाथ पटेल) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदर जीनपुर।